

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज०)

मुकदमा
101/2019

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
25.02.2019

निर्णय दिनांक
20.06.2019

जनवान सरकार बनाम मनफुल पुत्र भीखाराम जाति अहीर निवासी सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज०)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गाम सहड की राजकीय भूमि गै०मु० बंजड़ ख०न० 622 कुल रकबा 1.82 है० किस्म गै०मु० बंजड़ में से 0.02 है० पर अतिक्रमी मनफुल पुत्र भीखाराम जाति अहीर निवासी सहड ने अवैध रूप से पक्का निर्माण कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 0.49/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख० न० 622 लगान 0.02 की 50 गुणा जुर्माना राशि 1/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

49
...
...

(प्रभुदयाल व्यास)
तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनुं (राज०)

Suman
...